अलकी पासवान
बनाम
महेन्द्र ठाकुर व अन्य

भू०वि० वाद सं० 68/12-13

C.C. issued
C.No 184/19/1/13
C.C. issued
C.No 183/12/2/13.

## आदेश

19.1.13 यह वाद अलकी पासवान पे० स्व० केशो पासवान साकिन कुवराम थाना कहरा जि० सहरसा
द्वारा [illegible] ठाकुर पे० स्व० महेन्द्र ठाकुर व अन्य सभी साकिनान कुवराम थाना
कहरा जिला सहरसा के विरुद्ध बि०भू०वि० नि० अधि० 2009 के तहत विहित प्रपत्र
दाखिल करने के उपरान्त में प्राप्त की गई।

वादी द्वारा वाद पत्र में उल्लेखित है कि विवादित भूमि मौजा
कुवराम खाता 210, 182 खेसरा 2134, 2135 रकबा 0-0-19 (उन्नीस धुर) भूमि
वादी को अपने पिता स्व० केशो पासवान के नाम से प्राप्त है।
यह बासगीत पर्चा केस न० 426 वर्ष 1969-70 है। उक्त भूमि पर वादी का घर
एवं दखल कब्जा उनके पिता के जीवन काल से ही चला आ रहा है जिसका
लगान रसीद भी कटता आ रहा है। कुछ समय उपरान्त वादी का कच्चा घर वर्षा
के कारण गिरने पर पुनः घर बनाने के बाद विपक्षीगण जबरदस्ती वादी के बाद
मकान बनाना शुरू किया तथा मारपीट करने पर उतारू हो गए। तब वादीगण ने
अनुमंडल पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर के न्यायालय में दिनांक 30.07.2012 को धारा
144 CrPC के अंतर्गत कार्रवाई करने की प्रार्थना की जिसके आलोक में थाना प्रभारी कहरा
द्वारा प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के कारण उनके कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके
कारण हारकर वादी को यह वाद दायर करना पड़ा। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर वादी
ने विवादित भूमि पर वादी का स्वामित्व घोषित कर प्रतिवादी को अथवा किसी
अन्य को वादी के साथ वादी को उक्त भूमि पर
दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है।

प्रतिवादीगण द्वारा लिखित अभिवचन के माध्यम से दाखिल
प्रत्युत्तर दिनांक 29.10.12 में उल्लेखित है कि यह वाद काल बाधित एवं आवश्यक
पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी द्वारा उल्लेखित
प्रतिवादी के साथ लोग वे भी बासगीत पर्चाधारी हैं। प्रस्तुत कंडिका 7 एवं 9 में
उल्लेखित है कि O.P.-1 [illegible] ठाकुर के दादा रामनारायण ठाकुर के नाम से 11 धुर
बासगीत पर्चा केस न० 424/69-70 जिसका खाता सं० 221
खेसरा 2134 रकबा 11 धुर तथा OP-2 राजकुमार ठाकुर के पिता [illegible] ठाकुर
के नाम खेसरा सं० 2135 रकबा 16 धुर [illegible] OP-5 [illegible] ठाकुर

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता

के पिता सुखराम ठाकुर के नाम से खेसरा सं० 2134 रकबा ~~11 धुर~~ 11 धुर शामिल है। यह भी उल्लेखित है कि उसी आधार पर दाखिल खारिज होकर रसीद कटती आ रही है तथा विपक्षी गणों के पक्ष में हाल सर्वे में खाता भी खुला है। वादी अर्फी पासवान ने प्रार्थी विपक्षीगणों के ~~विरुद्ध~~ पक्ष में खुले खाता अंदर हाल सर्वे की दफा 106 बि.टी.सि. के तहत पूर्वोक्ती दी थी जिसका फैसला वादी अर्फी पासवान के खिलाफ हुआ। यह भी उल्लेखित है कि प्रतिवादी गण अपने पर्चा के आधार पर लगातार 43 वर्षों से पंचा में दर्ज रकबा के अनुसार काबिज दाखिल हैं तथा वादी का एक इंच जमीन भी विपक्षीगण के कब्जा में नहीं है। उक्त तथ्यों के मद्देनजर इस वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है।

वादी द्वारा वाद के विचारण के दरम्यान अन्य साक्ष्य अधिवक्ता के माध्यम से पूरक आवेदन दिनांक 29.11.12 को दाखिल कर उल्लेख किया कि आवेदक के पिता स्व० कैली पासवान के कब्जा में कुल रकबा 1कठा 13 धुर के प्रश्नगत रैयत रूप जिसका पुराना खेसरा 1194 खाता 210 पी पुराना खेसरा 2135 खाता 182 मिलजुमले रकबा 19 धुर एवं पुराना खेसरा 2121 एवं 2127 पुराना खाता 202 मिलजुमले रकबा 14 धुर है। यह भी उल्लेखित है कि खाता 202 खेसरा 2121 वो 2127 रकबा 14 धुर के खतियानी रैयत सौनी पासवान वादि कारी पासवान थे वो जो कैली पासवान के वंशज थे वो सौनी पासवान बिना किसी [illegible] कैली पासवान उसपर काबिज हो गये। एवं अनाद के इंतकाल कर गए लेकिन कैली पासवान [illegible] वासगीत पैंचा कानूनी तौर भी कैली पासवान ने मिटाव खरखशा अहदा के [illegible] तौर पर कानून के साथ शामिल किया जिसके आलोक में काबिज दखल काबिज चले आ रहे हैं। अंचल अधिकारी द्वारा उनके कब्जा के मुताबिक आयोजित [illegible] मोकदमा सं० 426/69-70 द्वारा सिर्फ लिखित जायदाद रकबा 19 धुर का ही वासगीत पर्चा निर्गत कराया। तब के लो पासवान द्वारा विरोध करने पर अंचल अधिकारी [illegible] द्वारा बाकी जायदाद के मुताबिक पुराना खाता 202 खेसरा 2121 एवं 2127 रकबा 14 धुर का भी पर्चा वाद सं० 432/69-70 द्वारा आवेदक के पिता को रकबा 0-1-13 का पंचा प्राप्त निर्गत कराया। इसप्रकार आवेदक के पिता को रकबा 0-1-13 का पंचा [illegible] दाखिल करते। जमाबंदी सं० 33 के अनुसार मालगुजारी अदाकर रसीद हासिल करते चले आ रहे हैं। यह भी उल्लेखित है कि विपक्षी का प्रश्नगत रैयत के संबंध में केवल छोटे ठाकुर पे० रामकुमार ठाकुर के नाम वासगीत पंचा का आदेश दिया गया एवं अन्य के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया

है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि वास्तव में जमीन ठाकुर खुद मौजूद हैं तो तथाकथित पर्चा छोटे ठाकुर के नाम से भिन्न आधार पर निर्गत किया गया वो दूसरा पर्चा गंगाराम ठाकुर के नाम निर्गत है जो बिलकुल अवैधानिक बनावटी एवं फर्जी है। चूँकि खेसरा 2134 वो 2135 पहले ही कैशो पासवान के नाम से आवेदित पर्चा निर्गत किया जा चुका है तो ऐसी सूरत में एक ही जमीन का दो-दो व्यक्ति के पक्ष में पर्चा कैसे निर्गत हो सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान कब्जा से अधिक का पर्चा किस तरह दिया जा सकता है। इस संबंध में विपक्षी के दावा के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदक रोजगार जीविकोपार्जन के लिए बाहर रहते हैं उसका फायदा उठाकर सर्वे अमला को मेल में लेकर गलत इन्द्राज करके स्वामित्व करा लिया जिसकी जानकारी होने पर वादी ने धारा 106 के अन्दर कार्रवाई किया परन्तु अज्ञानता रहे वो गरीबी एवं पारिवारिक लाचारी के चलते समय बीत जाने के कारण कोई कार्रवाई धारा 106 के खिलाफ नहीं कर सके जिसका ही फायदा उठाकर विपक्षीगण जबरन घर बनाने लगे जिसके चलते यह वाद दाखिल करना पड़ा। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर विपक्षी के बयान को खारिज कर वांछित अनुतोष की माँग की गई है।

प्रतिवादी द्वारा भी वादी द्वारा दाखिल पूरक आवेदन के विरुद्ध पूरक प्रत्युत्तर दिनांक 04-12-12 दाखिल कर उल्लेख किया कि वादी के पूरक बयान दिनांक 29.11.12 के माध्यम से आवेदक ने उत्तराधिकारी का सवाल उठाया है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। वादी द्वारा कारी पासवान को सैनी पासवान पुत्र होना बताया गया जिसे प्रतिवादी इंकार करते हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रत्युत्तर कंडिका 3 में उल्लेखित है कि कारी पासवान को पाँच पुत्र यथा सुरेश पासवान, रमेश पासवान, राजेश पासवान, सुरेश पासवान वो ओमप्रकाश पासवान हुए। इसी तरह आवेदक कैलाशी पासवान कारी पासवान के बेटा का कथन कर काल्पनिक नाम सैनी पासवान देकर कारी पासवान के जायदाद को हड़पना चाहते हैं। कारी पासवान के अधीन जायदाद पर उनके पुत्र लड़के अभी तक काबिज दाखिल चले आ रहे हैं। कारी पासवान के पिता का नाम जीवछ पासवान वो दादा का नाम कटोरी पासवान था यह स्पष्ट है कि आवेदक कैलाशी पासवान को कारी पासवान के वो जायदाद से कभी कोई मतलब नहीं हुआ और न है। प्रतिवादी द्वारा यह भी उल्लेखित है कि कैलाशी पासवान पिता कैशो पासवान को आवंटित पर्चा केस नं० 426/69-70 द्वारा मात्र 19 धुर का ही पर्चा मिला जो उनके कब्जा में अभी तक है। केस नं० 432/69-70 न तो आवेदक कैलाशी पासवान के नाम से

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता

है और न तो उनके पिता फेकू पासवान के नाम से है। इस प्रकार पारित वाद सं० 432/69-70 जाली व फर्जी है। वादी के पिता के कब्जा में एक बीघा तेरह धुर जमीन होने की बात गलत है। यह भी उल्लेखित है कि एक ही व्यक्ति के नाम से दो पर्चा होने की बात गलत व निराधार है। प्रार्थी विपक्षीगण को रामकुमार ठाकुर पे० [illegible] होने की बात गलत व निराधार है। प्रार्थी विपक्षीगण को रामकुमार ठाकुर पे० [illegible] छोटे ठाकुर के नाम से बासगित पर्चा वाद सं० 425/69-70 से 16 धुर का पर्चा मिला है जो गंगा राम ठाकुर पे० सुखदेव ठाकुर के नाम से बासगित पर्चा वाद सं० 423/69-70 द्वारा रकबा 11 धुर का शामिल है। यह भी प्रस्तुत कंडिका 9 में उल्लेखित है कि पर्चा रामकुमार ठाकुर के नाम से निर्गत न होकर उनके पिता छोटे ठाकुर के नाम निर्गत हुआ था जो रामकुमार ठाकुर को रकबा 16 धुर उनके पिता के नाम से निर्गत बासगित पर्चा के आधार पर उनकी पैतृक जायदाद है क्योंकि रामकुमार ठाकुर 1969-70 में नाबालिग थे वे अपने पिता के साथ रहते थे। यह भी उल्लेखित है कि प्रार्थी विपक्षीगण बोनाफाइडी प्रथम प्राप्त रैयत है। बासगित पर्चा के आधार पर इनके दखल कब्जा के मद्देनजर उनके नाम में निर्गत रसीद के आधार पर हाल सर्वे के पदाधिकारीगण ने उनका सर्वे में उनके नाम से खाता खुला। वादी की मनगढ़ंत प्रार्थी विपक्षी की भूमि पर लगी हुई है तथा इसे हासिल होने के नाम पर हड़पने की साजिश कर रहे हैं। उन्हीं तथ्यों के मद्देनजर वादपत्र को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने अभिकथन में वादपत्र एवं पूरक वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों का संकलन किया तथा अपने वाद के समर्थन में, बासगित पर्चा वाद सं० 426/69-70 से संबंधित Form-G, लगान रसीद सं० 620529 जनाब फेकू पासवान रकबा 0-1-6 वर्ष 2008-2009 की छाया प्रति संलग्न की है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने अभिकथन में वादपत्र का पुरजोर विरोध करते हुए उल्लेख किया वादी का एक ही व्यक्ति (फेकू पासवान – वादी के पिता) के नाम दो-दो बासगित पर्चा नहीं दिया जा सकता। वादी को प्राप्त बासगित पर्चा वाद सं० 426/69-70 को प्रतिवादी स्वीकार करते हैं परन्तु वादी द्वारा उल्लेखित BPPHT Case No 432/69-70 को इंकार करते हुए इसे forged & fabricated मानते हैं। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने अभिकथन के list of documents के माध्यम से BPPHT Case No 424/69-70 से संबंधित सूचना आवेदन, जमाबंदी सं० 46 बनाम सुखदेव ठाकुर का लगान रसीद सं० 736092, U/S 106 BT Act वाद सं० 1322/05 फेकू पासवान बनाम गंगा ठाकुर वगैरह में पारित आदेश की छायाप्रति; U/S 106 BT Act वाद सं० 1329/05 फेकू पासवान बनाम सुखदेव ठाकुर वगैरह में पारित आदेश की छाया प्रति, जमाबंदी सं० 47 बनाम छोटे ठाकुर RR सं० 380881, जमाबंदी सं० 49 बनाम [illegible] RR सं० 380880 की छायाप्रति दाखिल है। O.P के विद्वान

रकबा 19 धुर का कोई चौहद्दी वर्णित नहीं है। वादपत्र के अनुसार 19 धुर भूमि एवं अनुसूचित वादपत्र में एक कट्ठा तेरह धुर (0-1-13) पर दावा किया जा रहा है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का अभिकथन सुनने एवं दाखिल दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि इसी भूमि पर वादी द्वारा U/S 106 BT Act वाद सं० 1322/05 दायर किया था जिसमें दिनांक 20-12-08 को ASO बेतिया ने उभयपक्षों के कागजातों के निरीक्षणोपरान्त यह तथ्य पाया कि तकरारी भूमि पर रामनारायण ठाकुर का मकान के रूप में दखल कब्जा है तथा हाल सर्वे खतियान प्रतिवादी (रामनारायण ठाकुर) के नाम सही बना है। वाद सं० 1323/05 में वादी (कमली पासवान) ने स्थल जांच हेतु अमीन की प्रतिनियुक्ति से इंकार किया है। बेतिया अंचल द्वारा निर्गत सूचना आवेदन में उल्लेखित है कि Bihar Privileged Person Homestead Tenancy Act Register वर्ष 1967-72 में वाद सं० 424/69-70 रामनारायण ठाकुर पे० वासुदेव ठाकुर खाता नं० 226 खेसरा 2135 रकबा 11 धुर के नाम दर्ज है। वादी द्वारा खेसरा 2134, 2135 रकबा 19 धुर का वासगीत पर्चा प्राप्त होने का कोई प्रमाणिक साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विवेचनाओं से स्पष्ट है कि वादी को प्रतिवादी गणों के नाम Provisional Survey खतियान की जानकारी के उपरान्त उनके द्वारा U/S 106 Act के तहत वाद दायर किया गया था जिसमें उपलब्ध साक्ष्य के अतिरिक्त वादी ने इस वाद में कोई अतिरिक्त, प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वादी द्वारा इस वाद में कोई ऐसा Material Evidence या fact नहीं प्रस्तुत कर सके जिसका विवेचना ASO द्वारा नहीं की गई हो। अतएव U/S 106 BT Act के तहत वाद सं० 1322/05 एवं 1323/05 को विधिसम्मत एवं Conclusive माना जाता है।

फलस्वरूप: वादी अपने वाद को स्थापित करने में पूर्णतः असफल रहे। अतएव वाद खारिज किया जाता है।

लेखापित व संशोधित

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बेतिया

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बेतिया

भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बेतिया